

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/स्थानांतरण/वो-2 दिनांक 29.09.2021 द्वारा श्री पृथ्वीराज रतनू, प्रधानाचार्य राउमावि चांदराई जिला जालौर का स्थानांतरण राउमावि रोडला, आहोर जिला जालौर किया गया था। श्री रतनू द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जोधपुर में अपील संख्या 07/2021 पृथ्वीराज रतनू बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.2021 द्वारा विभागीय आलोच्य आदेश दिनांक 29.09.2021 को अपीलार्थी श्री पृथ्वीराज रतनू के सम्बन्ध में अपास्त किया गया है तथा विभाग को छूट प्रदान करते हुए नियमानुसार प्रशासनिक आवश्यकता एवं जनहित में अपीलार्थी का स्थानान्तरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

अतः माननीय अधिकरण के अपील संख्या 07/2021 में पारित उक्त आदेश की अनुपालना में नवीन आदेश प्रसारित करते हुए प्रशासनिक आवश्यकता, जनहित एवं राउमावि चांदराई जिला जालौर में दोहरे पदस्थापन की स्थिति के निवारणार्थ श्री पृथ्वीराज रतनू, प्रधानाचार्य राउमावि चांदराई जिला जालौर को राउमावि रोडला, आहोर जिला जालौर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

इन्हें योगकाल एवं यात्रा भत्ता नियमानुसार देय होगा।



(काना राम)

आई ए एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 08/11/2021

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/पृथ्वीराज/07/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, पाली संभाग, पाली।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जालौर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जालौर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री पृथ्वीराज रतनू, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)